

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र यादव,
अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय-प्रथम, गोरखपुर।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, गोरखपुर।

विषय: सम्पत्ति विवरण के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सादर निवेदन करना है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं०-14325/IV-h-16/Admin A-IV के अनुपालन में मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-17, 2017-19 एवं 2019-21 का सम्पत्ति विवरण प्रेषित किया जा रहा है। मेरे द्वारा विहित समय सीमा के भीतर कार्याधिक्य के कारण उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जा सका जिसके लिए प्रार्थी क्षमा प्रार्थी है। भविष्य में विहित समय सीमा के भीतर सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किया जायेगा और इस भूल की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

अतएव आपसे विनम्र निवेदन है कि विलम्ब को क्षमा करते हुए सम्पत्ति विवरण को ग्रहण करने का कष्ट करें।

सादर।

दिनांक 10.12.2021

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र यादव)

अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय-प्रथम, गोरखपुर।
I.D. No.UP1723
Personal File No.-3747

संलग्नक:-

सम्पत्ति विवरण, वित्तीय वर्ष 2015-17,
2017-19 एवं 2019-21